कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**M/s Unipatch Rubber Ltd. Khasra N0. 163, Village Sadarpur, Sector-45, Near Bawa Balgir Mandir, Gautam Budh Nagar, Noida.**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**057 / 14, 18.11.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री संजीव जुनेजा एवं श्री दिनेश सिंह सिसोदिया, अधिकृत प्रतिनिधि।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी M/s Unipatch Rubber Ltd. Khasra N0. 163, Village Sadarpur, Sector-45, Near Bawa Balgir Mandir, Gautam Budh Nagar, Noida द्वारा दिनांक 18.11.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा साइकिल ट्यूब रिपेयर पैचेस, साइकिल ट्यूब रिपेयर सोल्यूशन एव एलाइड प्रोडक्ट्स जो साइकिल ट्यूब के पन्चर में प्रयुक्त होते हैं, पर कर की दर के विनिश्चय का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री संजीव जुनेजा एवं श्री दिनेश सिंह सिसोदिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उनके द्वारा बेचे गये उत्पाद साइकिल के ट्यूब के रिपेयरिंग के काम में आते हैं। अत: इस पर साइकिल एसेसरीज की भॉति करमुक्ति होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के निर्णय की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें इसे एसेसरीज माना गया है। उनके द्वारा करदेयता की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पत्र संख्या-1537, दिनांक 22.01.2015 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी कैमल-चैक स्ट्रिप्स फार रिट्रीडिंग रबर टायर्स की खरीद बिक्री के लिए पंजीकृत हैं। व्यापारी द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु सोल्यूशन, कैमिकल वेस पर निर्मित होता है, जो साइकिल के ट्यूब के अलावा अन्य ट्यूब के पैचिंग में भी काम आ सकता है। अत: व्यापारी का यह कथन कि यह केवल साइकिल ट्यूब में ही प्रयोग होता है, उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा दाखिल रिटर्नों में स्वयं ही इसे कम्पोउण्ड रबर Unvulcanised एवं रबर गुड्स मानते हुए क्रमश: 4% व 12.5% की दर से कर जमा किया जा रहा है।

व्यापारी का यह कथन कि साइकिल ट्यूब पैचिज तथा ट्यूब रिपेयर सोल्यूशन साइकिल का पार्ट है, गलत है, क्योंकि किसी साइकिल के निर्माण में इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि साइकिल की बिक्री के पश्चात उपयोग में लाते समय यदि ट्यूब में पन्चर हो जाता है तभी पैन्चिग सोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उक्त वस्तु अन्य ट्यूब के पैचिंग में भी काम आ सकता है। अत: यह साइकिल का पार्ट नहीं है।

उपरोक्तानुसार व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के अनुसार साइकिल ट्यूब पैचिज तथा ट्यूब रिपेयर सोल्यूशन रिपेयरिंग के काम में आने के कारण निर्माण के समय साइकिल का पार्ट नहीं माना जा सकता।

....2

व्यापारी द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु कैमल-चैक स्ट्रिप्स फार रिट्रीडिंग रबर टायर्स शासनादेश संख्या-क0नि0-2-1270 / ग्यारह-9 (1) / 08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(118)-2014, दिनांक 26.9.2014 के अन्तर्गत आच्छादित न होने के कारण इस पर करमुक्ति दिया जाना उचित नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा आख्या में स्वयं यह कहा है कि प्रार्थी द्वारा रिटर्न दाखिल किया जा रहा है, तथा इनके द्वारा 12.5% की दर से कर जमा किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के वाद में दिये गये निर्णय के क्रम में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं। धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर सेल्स टैक्स, यू0पी0 बनाम राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद विवादित करदेयता के सम्बन्ध में धारा-35 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। चूँकि प्रश्नगत बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी (रूप-पत्र) दाखिल की गयी है। अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होना माना जायेगा। अत: प्रश्नगत बिन्दु का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि के बाहर होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। इनके द्वारा 12.5% की दर से कर जमा किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के वाद में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं। धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर सेल्स टैक्स, यू0पी0 बनाम राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद विवादित करदेयता के सम्बन्ध में धारा-35 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। चूँकि प्रश्नगत बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी (रूप-पत्र) दाखिल की गयी है। अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होना माना जायेगा, तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के निम्नलिखित प्राविधान :-

....3

(1) If any question arises, otherwise than in a **proceedings pending** before a Court or before an authority under this Act, whether, for the purposes of this Act-

(a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a dealer; or

(b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or

(c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or purchase price, as the case may be, therefor; or

(d) any particular dealer is required to obtain registration; or

(e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof, के दृष्टिगत चूँकि प्रार्थी पंजीकृत हैं, तथा संगत वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल किया गया है । अत: उपरोक्त विधिक प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत बिन्दु पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि से बाहर होने के कारण ग्राह्य योग्य नहीं है ।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी , कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 01 जून, 2015

ह0 / 01-06-2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।